परिशिष्ट-I

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.3)

राज्य स्तर पर बोर्ड की संगठनात्मक संरचना

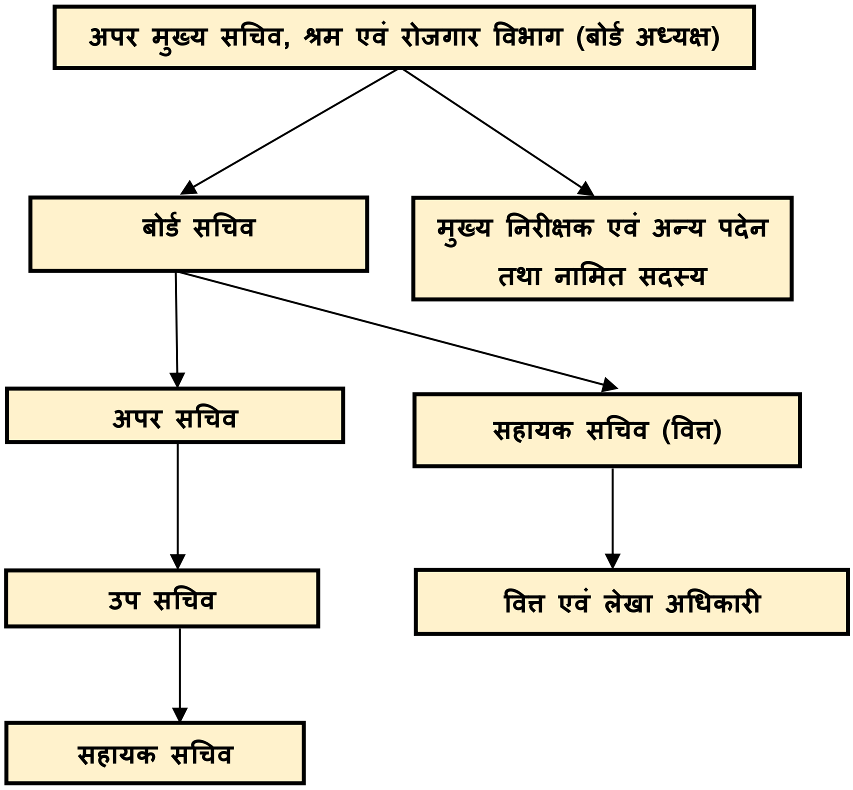

क्रियान्वयन स्तर पर बोर्ड की संगठनात्मक संरचना

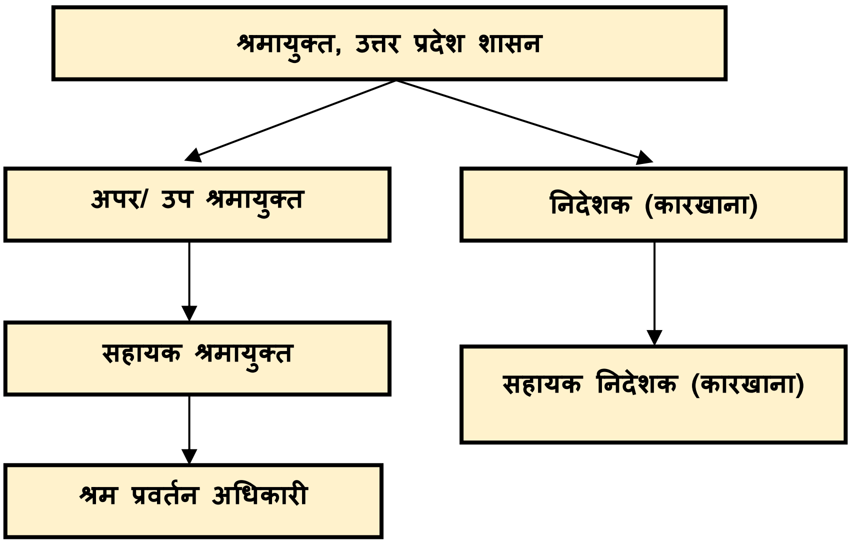

(स्रोत: बोर्ड सचिव, लखनऊ)

परिशिष्ट-II

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 1.6)

चयनित जनपदों, इकाइयों एवं योजनाओं की सूची

अ-चयनित जनपद और इकाइयाँ

जनपद का नाम	कार्यों के निष्पादन से संबंधित इकाइयां		भवन योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित इकाइयां		श्रम विभाग/बोर्ड से संबंधित इकाइयां
आगरा	निर्माण खण्ड- I, लोक निर्माण विभाग (ताज ट्रेपेजियम)	प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	आगरा विकास प्राधिकरण	नगर पालिका परिषद, शमशाबाद	उप श्रमायुक्त
गौतम बुद्ध नगर	प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	आगरा नहर, ओखला	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	नगर पालिका परिषद, दादरी	उप श्रमायुक्त
लखनऊ	निर्माण खण्ड -II, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग	लखनऊ विकास प्राधिकरण	नगर पंचायत, बख्शी का तालाब	उप श्रमायुक्त
मुरादाबाद	लोक निर्माण विभाग (विश्व बैंक खण्ड)	निर्माण खण्ड - 15, मध्य गंगा नहर	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	नगर पालिका परिषद, ठाकुरद्वारा	उप श्रमायुक्त
प्रयागराज	निर्माण खण्ड -IV, लोक निर्माण विभाग (कुंभ मेला)	निर्माण खण्ड -I, लोक निर्माण विभाग	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	नगर पंचायत, लाल गोपालगंज	उप श्रमायुक्त
वाराणसी	प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड - III, लोक निर्माण विभाग	वाराणसी विकास प्राधिकरण	नगर पंचायत, गंगापुर	उप श्रमायुक्त

ब-चयनित योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	पालना गृह योजना
2.	निर्माण श्रमिक बालिका सहायता योजना
3.	सौर ऊर्जा सहायता योजना
4.	आपदा राहत सहायता योजना
5.	चिकित्सा सहायता योजना
6.	श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना
7.	आवासीय विद्यालय योजना
8.	मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना
9.	निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह सहायता योजना
10.	मातृत्व लाभ योजना

परिशिष्ट- III

(*संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.2*)

अवधि 2017-22 में चयनित जनपदों में प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का विवरण

जनपद का नाम	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	योग
आगरा	329	516	184	231	871	2131
लखनऊ	1921	738	431	525	336	3951
गौतम बुद्ध नगर	3068	3358	3624	3830	4297	18177
मुरादाबाद	244	354	266	272	233	1369
प्रयागराज	599	814	357	395	299	2464
वाराणसी	292	141	84	53	59	629

(स्रोत: चयनित जनपदों के श्रम विभाग)

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.1.5)

चयनित जनपदों में उपकर के कम निर्धारण का विवरण

(₹ लाख में)

जनपद का नाम	लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण	उपकर के अल्प/कम निर्धारण की राशि
मुरादाबाद	मेसर्स पैसिफिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रकरण में, भवन के आच्छादित क्षेत्र और लोक निर्माण विभाग अनुसूची के कुर्सी क्षेत्र दरों का प्रयोग करते हुए, एक साधारण गैर-आवासीय भवन (संयुक्त संरचना) के निर्माण कार्य की लागत (₹ 76.47 करोड़) का आंकलन कर दिनांक 15 फरवरी 2019 के निर्धारण आदेश संख्या 749 द्वारा ₹ 76.47 लाख का उपकर निर्धारण किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग अनुसूची की कुर्सी क्षेत्र दरों को प्रभावी ढंग से लागू न करने के कारण, निर्माण कार्य की लागत ₹ 7.79 करोड़ कम निर्धारित हुयी क्योंकि अनुसूचित दरों के आधार पर कार्य की वास्तविक लागत ₹ 84.27 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, अन्य सेवाओं की लागत (@ 28.25 प्रतिशत) का भी उपकर निर्धारण के समय ध्यान नहीं रखा गया। परिणामस्वरूप, उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 31.59 लाख (कार्य की लागत के कम निर्धारण के कारण ₹ 7.79 लाख + अन्य सेवाओं के लिए ₹ 23.80 लाख) का कम उपकर निर्धारण किया गया। इस तथ्य के बावजूद, नियोक्ता के प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2019) पर, निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र ₹ 36.26 लाख की देयता निर्धारित कर, प्रकरण निस्तारित (29 अप्रैल 2019) कर दिया गया तथा ऐसा बिना कोई संसोधित निर्धारण आदेश जारी किये ही किया गया। इस प्रकार, उपकर का निर्धारण ₹ 71.80 लाख (₹ 76.47 लाख + ₹ 31.59 लाख - ₹ 36.26 लाख) कम हुआ।	72.55
	मैसर्स एस ए ब्रास के प्रकरण में लोक निर्माण विभाग अनुसूची की कुर्सी क्षेत्र दरों के आधार पर एक साधारण गैर-आवासीय भवन का ₹2.64 लाख का उपकर निर्धारण किया गया। यद्यपि, निर्माण कार्य की लागत (₹ 263.46 लाख) पर उपकर अधिरोपित करते समय अन्य सेवा शुल्क (@28.25 प्रतिशत) का ध्यान नहीं दिए जाने के कारण, उपकर का निर्धारण (मार्च 2023) ₹0.75 लाख कम हुआ।	
आगरा	मैसर्स रिद्धि सिद्धि कंस्ट्रक्शन के प्रकरण में, गलत अंकगणितीय गणना तथा आरसीसी संरचना ढांचे के स्थान पर संयुक्त संरचना ढांचे के कुर्सी क्षेत्र दर को लागू करने के कारण, एक मध्यम गैर-आवासीय भवन की निर्माण लागत का आंकलन ₹ 7.93 करोड़ (लोक निर्माण विभाग अनुसूची की लागू दरों के अनुसार निर्माण कार्य की लागत ₹ 23.93 करोड़ -निर्धारण आदेश के अनुसार लागत ₹ 16.00 करोड़ रुपए) कम हुआ। इसके अतिरिक्त, उपकर के निर्धारण के लिए अन्य सेवा शुल्क (@27.00 प्रतिशत) पर भी ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, निर्धारण आदेश सं. 2967, दिनांक 01 दिसंबर 2022 द्वारा ₹ 14.39 लाख (लागत के अंतर पर देय उपकर ₹ 7.93 लाख + वास्तविक लागत के सापेक्ष अन्य सेवा शुल्क पर देय उपकर ₹ 6.46 लाख) के उपकर का कम निर्धारण हुआ।	23.66

जनपद का नाम	लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण	उपकर के अल्प/कम निर्धारण की राशि
	इसी प्रकार, मैसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स परम इटरनिटी के प्रकरण में, गलत अंकगणितीय गणना तथा मध्यम गैर-आवासीय भवन के आरसीसी संरचना ढांचे के कुर्सी क्षेत्र दर का प्रयोग न करने के कारण निर्माण कार्य की लागत ₹12.32 करोड़ के स्थान पर ₹11.64 करोड़ आंकलित की गई। परिणामस्वरूप, निर्धारण आदेश सं. 2601, दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा उपकर का निर्धारण ₹ 9.27 लाख कम हुआ।	
गौतम बुद्ध नगर	मैसर्स जीएलडी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, एक मध्यम गैर-आवासीय भवन (आरसीसी फ्रेम संरचना) की निर्माण लागत की गणना के लिए लोक निर्माण विभाग अनुसूची के संशोधित कुर्सी क्षेत्र दर का प्रयोग नहीं करने के कारण, लागत का आंकलन ₹87.56 करोड़ (लोक निर्माण विभाग अनुसूची के लागू कुर्सी क्षेत्र दर के अनुसार व अन्य सेवा शुल्क सहित निर्माण लागत ₹ 407.94 करोड़ - निर्धारण के अनुसार अन्य सेवा शुल्क सहित निर्माण लागत ₹320.38 करोड़) कम हुआ। परिणामस्वरूप, निर्धारण आदेश 46-47, दिनांक 04 जनवरी 2022 द्वारा उपकर का निर्धारण ₹ 87.56 लाख कम हुआ।	161.35
	जेएम अरोमा के प्रकरण में, यद्यपि आरसीसी संरचना वाले आवासीय भवन का निर्माण कार्य माह अगस्त 2015 में पूर्ण हो गया था, किन्तु श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित संपत्तियों के सर्वेक्षण की परियोजना के आयोजन (फरवरी 2019) तक उपकर के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। तथापि, भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियोक्ता को ₹ 233.37 लाख के बीजक एवं उपकर की नोटिस जारी की गयी| हालांकि, आदेश सं. 6113-14, दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा मात्र ₹ 160.18 लाख का उपकर निर्धारण किया गया, क्योंकि निर्माण लागत की गणना के लिए आरसीसी संरचना की पुरानी कुर्सी क्षेत्र दर ₹ 8790 प्रति वर्ग मीटर प्रयोग में लायी गयी थी। यद्यपि संशोधित दर ₹13300 प्रति वर्ग मीटर (01 अगस्त, 2013 से) लागू थी तथा बेसमेंट क्षेत्र के बाद का निर्माण कार्य सितंबर, 2013 से प्रारंभ हुआ था। परिणामस्वरूप, उपकर की वसूली में ₹73.19 लाख की कमी आयी।	
लखनऊ	मैसर्स ओमेगा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के प्रकरण में, भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण के अंतर्गत, आवासीय भवन के निर्माण के लिए नियोक्ता को ₹155.00 लाख की राशि का बीजक एवं उपकर का नोटिस दिया गया था। हालांकि, नियोक्ता के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारण आदेश 10357, दिनांक 03 नवंबर 2018 द्वारा ₹ 68.85 लाख के उपकर की मांग जारी की गई थी। निर्धारण आदेश में, निर्माण लागत की गणना करते समय, कुर्सी क्षेत्र दरों को 10 प्रतिशत कम लागू किया गया था एवं अन्य सेवा शुल्क (29.5%) की लागत पर भी विचार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उपकर का निर्धारण ₹ 30.22 लाख कम हुआ।	31.04
	मेसर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सीतापुर रोड, बख्शी का तालाब के प्रकरण में, नियोक्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उपकर का निर्धारण (आदेश 5937-38, दिनांक 12 मई 2023 के अनुसार) किया गया था। हालांकि, निर्माण	

जनपद का नाम	लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण	उपकर के अल्प/कम निर्धारण की राशि
	लागत ₹ 787.68 लाख पर अन्य सेवा शुल्क (27 %) के स्थान पर मात्र 16.50 प्रतिशत आरोपित की गई। परिणामस्वरूप, उपकर ₹ 0.82 लाख कम निर्धारण हुआ।	
प्रयागराज	गैर-आवासीय भवन से सम्बंधित निर्धारण आदेश 2449, दिनांक 10 अप्रैल 2023 द्वारा ₹ 2.23 लाख के उपकर का निर्धारण किया गया था। हालांकि, निर्माण लागत की गणना करते समय, ₹ 21650 प्रति वर्ग मीटर (01 सितंबर 2020 से प्रभावी) के स्थान पर पुरानी कुर्सी क्षेत्र दर ₹ 13430 प्रति वर्ग मीटर लागू की गई। परिणामस्वरूप, ₹1.11 लाख उपकर का कम निर्धारण हुआ। इसी तरह, आरसीसी संरचना वाले आवासीय भवन के प्रकरण में निर्धारण आदेश 2473, दिनांक 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से ₹ 38.33 लाख के उपकर निर्धारण किया गया था। हालांकि, निर्माण लागत की गणना करते समय, वर्ष 2018-19 के लोक निर्माण विभाग अनुसूची के पुराने कुर्सी क्षेत्र दर को लागू किया गया था, जबकि निर्माण कार्य वर्ष 2020-21 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 की संशोधित कुर्सी क्षेत्र दर का प्रयोग नहीं करने के कारण, ₹5.12 लाख का कम उपकर निर्धारण हुआ।	6.23
योग		**294.83**

(स्रोत: चयनित जिलों के श्रम विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-V

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2.2.1)

ठेकेदारों के बीजको से वस्तु एवं सेवा कर की राशि पर उपकर की कटौती नहीं करने का विवरण

(₹ *लाख में*)

इकाइयों का नाम	वाउचर की कुल संख्या	वस्तु एवं सेवा कर की राशि	ठेकेदारों के बीजको से कटौती नहीं किये गए उपकर की राशि
नगर पंचायत (गंगापुर, वाराणसी)	97	95.52	0.95
निर्माण खण्ड-III, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी	36	4600.00	46.00
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी	326	426.83	4.27
हेड वर्क्स डिवीजन, ओखला	42	839.65	8.39
मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-15, मुरादाबाद	75	549.57	5.50
विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद	47	4131.17	41.31
नगर पालिका परिषद, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	19	137.16	1.37
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा	11	277.76	2.78
निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज	09	137.14	1.37
निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	सभी वाउचर	2052.50	20.53
आगरा विकास प्राधिकरण	2686	4207.56	42.08
वाराणसी विकास प्राधिकरण	721	1761.85	17.62
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	855	4243.78	42.44
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	266	1400.74	14.00
योग		**24861.23**	**248.61**

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या.4.2.2.1)

प्रतिशत प्रभार की राशि पर उपकर की कटौती नहीं करने का विवरण

(₹ *लाख में*)

इकाई का नाम	वर्ष 2017-22 की अवधि में राजकोष में जमा प्रतिशत प्रभारों की राशि	प्रतिशत प्रभारों पर देय उपकर की राशि
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी	1803.19	18.03
निर्माण खण्ड-I (ताज ट्रेपेजियम) आगरा	1007.49	10.07
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा	353.76	3.54
निर्माण खण्ड, कुंभ मेला, प्रयागराज	5581.55	55.82
निर्माण खण्ड-I, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज	2049.53	20.50
हेड वर्क्स डिवीजन, ओखला	803.55	8.04
विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद	54.00	0.54
योग	**11653.07**	**116.54**

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.2.2.3)

अवधि 2019-22 में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अनुमोदित मानचित्रों के सापेक्ष आंशिक रूप से जमा उपकर का विवरण

(₹ *लाख में*)

विकास प्राधिकरण का नाम	अवधि 2019-22 में अनुमोदित मानचित्रों की कुल संख्या	निर्माण कार्य की लागत	उपकर की देय राशि	संग्रहित उपकर की राशि	उन मामलों की संख्या, जहां उपकर की कम राशि संग्रहित की गई	कम संग्रहित उपकर की राशि
मुरादाबाद	808	15351.15	153.51	143.16	273	10.35
वाराणसी	364	35914.70	359.15	314.49	52	44.66
आगरा	1958	70512.68	705.13	678.03	182	27.10
लखनऊ	4873	166210.48	1662.11	613.06	625	1049.05
प्रयागराज	785	63555.32	635.55	467.57	747	167.98
योग	**8788**	**351544.33**	**3515.45**	**2216.31**	**1879**	**1299.14**

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.1)

अवधि 2017-22 में संग्रहीत उपकर का विवरण, जो बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया

(₹ *लाख में*)

इकाई का नाम	संग्रहीत उपकर की राशि	संग्रह की अवधि
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद	489.60	मई 2018 से मार्च 2022
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	845.82	अप्रैल 2017 से मार्च 2022
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी	332.05	अप्रैल 2021 से मार्च 2022
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर	862.41	नवंबर 2019 से मार्च 2022
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	5925.00	जुलाई 2016 से मार्च 2022
नगर पंचायत, लाल गोपालगंज, प्रयागराज	9.05	अप्रैल 2017 से मार्च 2022
योग	**8463.93**	

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3.2)

अवधि 2017-22 में संग्रहीत उपकर को विलम्ब से बोर्ड को हस्तांतरण का विवरण

(₹ *लाख में*)

इकाई का नाम	विलम्ब से हस्तांतरित उपकर की राशि	विलम्ब की अवधि
आगरा विकास प्राधिकरण	731.32	एक से 31 महीने
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	130.67	एक से तीन महीने
वाराणसी विकास प्राधिकरण	537.84	एक से 30 महीने
प्रयागराज विकास प्राधिकरण	1548.15	चार से 27 महीने
योग	**2947.98**	

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-X

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 5.5 और 5.6)

अवधि 2017-22 में कार्यस्थल दुर्घटनाओं का विवरण, जहां निरीक्षकों द्वारा आवश्यक जांच नहीं की गई थी

जनपद का नाम	कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का विवरण
आगरा	एक निर्माणाधीन बहुमंजिला समूह आवास भवन की 10वे तल से, निर्माण कार्य करते समय गिरने के बाद निर्माण स्थल[115] पर एक निर्माण श्रमिक की मृत्यु(14 मई 2021) हो गई। अग्रेतर, उप श्रमायुक्त आगरा द्वारा मीडिया रिपोर्टों से प्रकरण का संज्ञान लेने के पश्चात भी, निदेशक (कारखाना) के निरीक्षकों द्वारा कोई जांच नहीं की गई, जैसा कि ***प्रस्तर संख्या 5.7*** में वर्णित है।
मुरादाबाद	निर्माणाधीन ओवरब्रिज[116] पर निर्माण कार्य करते समय, एक निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना में सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु (29 नवंबर 2021) हो गई।
वाराणसी	श्री विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण स्थल के पास एक भवन के गिरने (31 मई 2021) से दो श्रमिकों की मौत हो गई तथा आठ श्रमिक घायल हो गए। इसी तरह, चौबेपुर में निर्माणाधीन भवन के प्लास्टर का काम करते हुए तीन मजदूरों की मौत (20 अप्रैल 2017) हो गई। इसके अलावा, श्री काशी विश्वनाथ धाम के विकास से संबंधित परियोजना में एक वाहन से कांच सामग्री उतारते समय एक श्रमिक की भी मृत्यु (11 सितंबर 2021) हो गई, जिसके सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा उपश्रमायुक्त को दुर्घटना की नोटिस प्रदान की गयी थी।

(स्रोत: नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 6.5)

मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार राज्य में निरीक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों संख्या	रिक्त पद	रिक्त पदों का *प्रतिशत*
अपर श्रमायुक्त	10	05	05	*50*
उप श्रमायुक्त	26	26	00	*00*
सहायक श्रमायुक्त	71	63	08	*11*
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	360	220	140	*39*
योग	**467**	**314**	**153**	***33***

(स्रोत: श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई सूचना)

115 गणपति वर्ल्ड-II, फतेहाबाद रोड, आगरा।

116 मझोला पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत स्थित।

परिशिष्ट-XII

(संदर्भः प्रस्तर संख्या 7.2.5.3)

अवधि 2017-22 में योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का विवरण

योजना का नाम	वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या					कुल
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
लाभार्थियों की घटती संख्या वाली योजनाएं						
शिशु लाभ योजना	51866	31665	25026	00	00	
दुर्घटना/मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना	5079	2230	1996	1996	2324	
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	19510	7612	7295	7728	3060	
श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना	67	07	07	10	00	
कौशल विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रमाणन योजना	2740	338	00	00	00	
मृत्यु और अंत्येष्टि सहायता योजना	4567	1975	2036	1979	2042	
निर्माण श्रमिक बालिका सहायता योजना	5081	2242	1598	00	00	
विकलांगता पेंशन योजना	15	08	10	00	00	
सौर ऊर्जा सहायता योजना	00	00	00	00	00	
आवास सहायता योजना	96	1499	523	280	47	
साइकिल सहायता योजना	00	00	00	00	00	
पेंशन योजना	392	410	155	155	197	
पालना गृह योजना	00	00	00	00	00	
मध्याह्न भोजन योजना	00	00	00	00	00	
शिक्षा सहायता और छात्रवृत्ति योजना	27309	3976	4181	624	00	
आवासीय विद्यालय सहायता योजना	2400	2400	2400	2400	2400	
शौचालय सहायता योजना	00	00	00	01	00	
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना	00	00	00	00	38194	
खाद्यान्न सहायता योजना	00	00	00	00	00	
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन बीमा योजना	00	00	00	00	00	
योग (अ)	**119122**	**54362**	**45227**	**15173**	**48264**	**282148**
लाभार्थियों की बढ़ती संख्या वाली योजनाएं						
मातृत्व लाभ योजना	32040	17455	12756	76292	90593	
चिकित्सा सहायता योजना	192936	193629	204462	325282	79248	
आपदा राहत सहायता योजना	00	00	1790638	1680929	11801369	**15272936**
निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह सहायता योजना	3570	6747	15530	33110	52982	
योग (ब)	**228546**	**217831**	**2023386**	**2115613**	**12024192**	**16609568**
कुल योग (अ+ब)	**347668**	**272193**	**2068613**	**2130786**	**12072456**	**16891716**
बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	3869729	4506095	5106496	9599977	14418798	
बोर्ड की योजनाओं से लाभान्वित पंजीकृत श्रमिकों का *प्रतिशत*	***9***	***6***	***41***	***22***	***84***	

(स्रोतः बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-XIII

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 7.2.6)

अवधि 2017-22 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्यान्वयन की अवधि	अवधि 2017-22 में स्वीकृत बजट	अवधि 2017-22 में संपन्न व्यय
1.	मातृत्व लाभ योजना	2017-22	370.00	402.47
2.	शिशु लाभ योजना	2017-21	185.00	117.88
3.	दुर्घटना /मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना	2017-22	370.00	281.56
4.	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	2017-22	47.00	16.11
5.	श्रमिक गंभीर बीमारी सहायता योजना	2017-22	234.00	67.42
6.	कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रमाणन योजना	2017-22	165.00	7.86
7.	मृत्यु और अंत्येष्टि सहायता योजना	2017-22	72.50	32.41
8.	निर्माण श्रमिक बालिका सहायता योजना	2017-21	41.00	16.13
9.	निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह सहायता योजना	2017-22	586.00	683.31
10.	विकलांगता पेंशन योजना	2017-21	00.63	0.03
11.	सौर ऊर्जा सहायता योजना	2017-22	215.00	0.00
12.	आवास सहायता योजना	2017-22	162.00	5.36
13.	साइकिल सहायता योजना	2017-22	53.20	0.96
14.	पेंशन योजना	2017-22	139.80	1.11
15.	मध्याह्न भोजन योजना	2017-22	40.03	0.97
16.	आवासीय विद्यालय सहायता योजना	2017-22	164.00	49.56
17.	शिक्षा सहायता और छात्रवृत्ति योजना	2017-22	110.00	7.78
18.	खाद्यान्न सहायता योजना	2017-19	75.01	0.00
19.	चिकित्सा सहायता योजना	2018-22	370.00	291.16
20.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन बीमा योजना	2018-22	86.00	0.00
21.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना	2019-22	150.00	11.96
22.	आपदा राहत सहायता योजना	2020-21	600.00	1302.12
23.	शौचालय सहायता योजना	2020-22	30.00	0.02
24	पालना गृह योजना	2017-18	0.00	(-)0.88
25.	संत रविदास शिक्षा सहायता योजना	2021-22	20.00	18.27

(स्रोत: बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ: पैराग्राफ संख्या 7.2.6.2)

मॉडल योजना के प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण

गतिविधि का नाम	गतिविधि अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ	गतिविधि के कार्यान्वयन की स्थिति	मॉडल योजना के गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियां
जीवन तथा विकलांगता बीमा	इस गतिविधि के अंतर्गत, मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में ₹ चार लाख तथा प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹ दो लाख की न्यूनतम सहायता के साथ घायल श्रमिकों को विकलांगता लाभ प्रदान किया जाना है। गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने सुझाव दिया कि बोर्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों (18 से 50 वर्ष की आयु के बीच) को आच्छादित कर सकता है, तथा इसके लिए प्रति श्रमिक प्रति वर्ष ₹ 171 की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान कर सकता है क्योंकि शेष प्रीमियम राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने लाभार्थी की मृत्यु के 60 दिनों के भीतर लाभों का वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।	अपेक्षित आच्छादन प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने स्वयं की दुर्घटना/मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना लागू की। बोर्ड ने[117] अपनी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए उच्च वित्तीय सहायता (आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹ पांच लाख तथा प्राकृतिक मृत्यु के मामले में ₹ दो लाख) का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कार्यान्वित नहीं किया।	लेखापरीक्षा मे पाया गया कि दुर्घटना/मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत, अवधि 2017-22 में वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त कुल 25911 आवेदनों के सापेक्ष, केवल 13625 लाभार्थियों या उनके आश्रितों को ही परिकल्पित सहायता प्रदान की गई थी। यह भी पाया गया कि जिलाधिकारी दुर्घटना/मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना के अंतर्गत लाभों की स्वीकृति हेतु अधिकृत थे, जिस कारण भी वित्तीय सहायता की स्वीकृति में विलम्ब हुआ। इस प्रकार, अवधि 2017-22 में 47 प्रतिशत प्रकरणों में वित्तीय सहायता का वितरण न होने के कारण, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को वैध लाभ प्रदान नहीं किया जा सका। यदि बोर्ड ने भारत सरकार के सुझावों के अनुपालन में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया होता, तो सभी पात्र लाभार्थियों को संबंधित योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता था।

117 बोर्ड ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन (फरवरी 2018) दिया था।

गतिविधि का नाम	गतिविधि अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ	गतिविधि के कार्यान्वयन की स्थिति	मॉडल योजना के गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियां
स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा	इस गतिविधि के अन्तर्गत बोर्ड को राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत अधिकतम श्रमिकों को आच्छादित करना वांछित है। आयुष्मान भारत योजना के आच्छादन से वंचित श्रमिकों के लिए बोर्ड को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना वांछित है। साथ ही महिला श्रमिकों को 90 दिनों से 26 सप्ताह तक, दो प्रसवों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश और दो प्रसवों तक श्रमिक की पत्नी को ₹ छः हजार प्रति प्रसव की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना बोर्ड के लिए आवश्यक है।	आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने राज्य में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ विलम्ब से एक समझौता ज्ञापन निष्पादित (फरवरी 2021) किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि बोर्ड ने लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना[118] के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति (दिसंबर 2011) दी थी, जिसे 10 वर्ष की अवधि के पश्चात वर्ष 2020-21 में बिना किसी श्रमिक को लाभ दिए ही निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने महिला श्रमिकों को सवेतन मातृत्व अवकाश भुगतान और श्रमिकों की पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ योजना भी लागू की थी।	मॉडल योजना की गतिविधि के अनुरूप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना/ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करने की घोषणा (अक्टूबर 2020) की। फलस्वरूप, बोर्ड ने लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। तदनुसार, अप्रैल 2021 के माह में बोर्ड द्वारा मात्र 11.65 लाख पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवारों को इसके अंतर्गत अच्छादित करने की प्रक्रिया शुरू की, हालांकि बोर्ड के पास 38.31 लाख पात्र श्रमिकों तथा उनके परिवारों का विवरण उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, मई 2023 तक, कुल 11.65 लाख श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जो बोर्ड में पंजीकृत कुल लाभार्थियों के 10 प्रतिशत से भी कम थे। यद्यपि, बोर्ड ने श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए मातृत्व लाभ योजना लागू की थी, किन्तु अवधि 2017-22 के दौरान योजना के अन्तर्गत प्राप्त कुल 5,18,746 आवेदनों के सापेक्ष, केवल 2,92,523 आवेदनों को ही स्वीकृति दी गई एवं मात्र 2,29,136 प्रकरणों (44 प्रतिशत) में लाभार्थियों को परिकल्पित सहायता प्रदान की गई।

118 गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ (अप्रैल 2008) किया गया था, जिसे कालांतर में आयुष्मान भारत योजना में समाहित किया गया था।

गतिविधि का नाम	गतिविधि अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ	गतिविधि के कार्यान्वयन की स्थिति	मॉडल योजना के गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियां
			इस प्रकार, बोर्ड मॉडल योजना की गतिविधि के अनुरूप सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका।
शिक्षा	बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों की कक्षा एक से स्नातक तक की शिक्षा हेतु ₹ 1,800 से ₹ 10,000 प्रति वर्ष तक की न्यूनतम वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।	बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना लागू की थी।	संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को ₹ दो हजार से ₹ 24 हजार (कक्षा एक से स्नातकोत्तर स्तर तक) तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017-22 में योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 1,93,179 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 1,01,123 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी तथा केवल 74,284 प्रकरणों (38 प्रतिशत) में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इस प्रकार, बोर्ड पुनः सभी पात्र श्रमिको के आश्रितों को परिकल्पित वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान नहीं कर सका।
आवास	बोर्ड को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारो की सघनता वाले क्षेत्रों में, जहाँ वे कार्य खोजने से पूर्व एकत्र होते हैं, पारगमन आवास/श्रमिक शेड सहित रैन बसेरा, सचल शौचालयों तथा सचल शिशुगृहों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिये।	लागू नहीं किया गया	बोर्ड ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया।
कौशल विकास	बोर्ड अपने कौशल विकास कार्यक्रमों को राज्य/केंद्र/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के समान कार्यक्रमों के साथ अभिसरित कर सकता है जिससे श्रमिकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।	बोर्ड ने विभिन्न अनुशासनों में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना कार्यान्वित की थी। योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल	लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड की कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के अन्तर्गत, अवधि 2014-19 में श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा एक अलग कार्यक्रम (राज्य/केंद्र/ राष्ट्रीय

गतिविधि का नाम	गतिविधि अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ	गतिविधि के कार्यान्वयन की स्थिति	मॉडल योजना के गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियां
		विकास मिशन के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "*रिकग्निसन प्रायर लर्निंग* योजना" को लागू करने का निर्देश (अगस्त 2015) दिया था। तदनुसार, बोर्ड ने माह नवंबर 2015 में "*रिकग्निसन प्रायर लर्निंग* योजना" को लागू करने का निर्णय लिया।	कौशल विकास निगम की वर्तमान योजनाओं के साथ अभिसरण के बिना) आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत, 63,000 श्रमिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष, 69,454 प्रतिभागियों का नामांकन तथा 69,488 श्रमिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रयोजनार्थ, बोर्ड ने अवधि 2014-18 में मिशन को ₹12.44 करोड़ अंतरित किए, तथापि, उपर्युक्त प्रशिक्षणों पर ₹95.25 करोड़ की देयता का भुगतान न करने के कारण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आगे कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों तथा पाठ्यक्रम/ विषयों को अंतिम रूप देने में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं थी। परिणामस्वरूप, अवधि 2014-19 की दौरान कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के कई प्रतिभागी अपंजीकृत श्रमिक थे। इसके अतिरिक्त, "*रिकग्निसन प्रायर लर्निंग* योजना" के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के बावजूद, बोर्ड ने कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

गतिविधि का नाम	गतिविधि अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ	गतिविधि के कार्यान्वयन की स्थिति	मॉडल योजना के गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियां
			इस प्रकार, बोर्ड ने अवधि 2018-19 के बाद श्रमिकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। यद्यपि कि भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार, राज्य बोर्डों को उपकर की कम से कम 20 प्रतिशत प्राप्तियों को श्रमिकों के कौशल विकास के लिए व्यय करनी थी।
	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारो को प्रशिक्षण की अवधि में वेतन तथा प्रशिक्षण व्यय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की अवधि में पंजीकृत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया था।	अवधि 2014-19 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रतिभागियों को वेतन, मजदूरी आदि के रूप में सहायता का कोई भुगतान नहीं किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम	इस उद्देश्य हेतु बुनियादी स्तर के जागरूकता कार्यक्रम जैसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारो के स्मार्टफोन पर कल्याणकारी योजनाओं के वीडियो प्रसारित करना, कल्याण योजनाओं के बारे में श्रमिकों को सूचित करने के लिए शार्ट मैसेज सेवाओं का नियमित उपयोग, दीवार लेखन, नियोक्ताओं द्वारा प्रचार एवं जागरूकता पहल आदि को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।	बोर्ड ने संबंधित उद्देश्यों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना लागू की थी।	यद्यपि बोर्ड ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किया, तथापि, वीडियो का प्रसारण, शार्ट मैसेज सेवाओं का उपयोग, दीवार लेखन आदि जैसे बुनियादी स्तर के कार्यक्रमों के लिए कोई क्रियाकलाप निष्पादित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना के अन्तर्गत, श्रमिकों के लाभ वितरण हेतु कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रमुख रूप से व्यय किया गया था, जो संबंधित गतिविधि के क्रियाकलाप के रूप में प्रस्तावित ही नहीं था।
पेंशन	उन भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को पेंशन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जो कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में पंजीकृत रहे हों।	बोर्ड ने 60 वर्ष की आयु वाले ऐसे श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी पेंशन योजना प्रारम्भ की, जो विगत दस वर्षों से बोर्ड के सदस्य रहे थे।	बोर्ड ने प्रस्ताव पारित (अप्रैल 2022) कर, 129.63 लाख से अधिक पंजीकृत लाभार्थियों के पेंशन पर अप्रत्याशित प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया, जैसा कि पूर्व में ***प्रस्तर संख्या 7.2.6.1*** में वर्णित है।

(स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना)